पत्रावली आज दिनांक 18-11-2020 को पेश हुई। [illegible]
पत्रावली पूर्वानुसार आगामी पेशी दिनांक 16-12-2020 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 11-12-2021 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-2-2021 को पेश हो।

10/2/2021 पत्रावली पेश हुई। व० प० उप०, प्रार्थना पत्र बाबत नाम हटाए किए जाने पर वादी/प्रति० वकील की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/2/2021 को पेश हो।

22/2/2021 पत्रावली पेश हुई। व० प० उप०, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 25/2/2021 को पेश हो।

25/2/2021 पत्रावली पेश हुई। व० प० उप०, वाद वादीगण खारिज किया जाता है निर्णय विस्तृत पृथक से लेखबद्ध कर सुनाया गया, निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। बाद तकमील फाइल दा० दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर, राजस्थान

प्रकरण सं. - राजस्व वाद 885/2008 प्रस्तुति दिनांक 23.11.2001

<u>अभिलेख</u>

1 - नानगा पुत्र चुन्नाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 - मांगीलाल पुत्र स्व. नानगा
1/2 - कजोड़मल पुत्र स्व. नानगा
2. - जगदीश पुत्र सुवालाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण नि० ग्राम हस्तपुरा तह० आमेर जिला जयपुर

— वादीगण

बनाम

1 - नाथू पुत्र चुन्नाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 - रामलाल पुत्र स्व. चुन्नाराम
1/2 - शोभालाल पुत्र स्व. चुन्नाराम
1/3 - तेजाराम पुत्र स्व. चुन्नाराम

समस्त जाति बागड़ा ब्राह्मण नि० ग्राम हस्तपुरा तह० आमेर, जिला जयपुर

1/4 - मन्नी देवी पुत्री मृतक नाथू पत्नी गंगाराम नि० ग्राम मोरीजा तह० चौमू जिला जयपुर
1/5 - रुकमा देवी पुत्री मृतक नाथू पत्नी मोहनलाल नि० ग्राम मोरीजा तह० चौमू जिला जयपुर
1/6 - संज्यादेवी विधवा मृतक नाथू
2 - तेजाराम पुत्र नाथूलाल
3 - राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जयपुर।

— प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व कब्जा व विभाजन</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

उपस्थिति :-

1 - श्री लालचन्द जाट अधि० वादीगण
2 - श्री संजय शर्मा अधि० प्रतिवादीगण

दिनांक 25.02.2021

– निर्णय –

पत्रावली प्रस्तुत। वादी ने दिनांक 18.9.2019 को प्रार्थनापत्र बाबत नाम दखारिज किये जाने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उनवानी वाद में प्रतिवादी सं० 1/6 संजयादेवी विधवा मृतक नाथू की मृत्यु हो चुकी है तथा संजयादेवी के वारिसान प्रतिवादीगण रामलाल, घोगालाल, तेजाराम, मन्नीदेवी, सकमादेवी पूर्व से ही वाद में प्रतिवादीगण सं० 1/1 ता 1/5 के रूप में पक्षकार बने हुए है। उक्त मृतका के प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/5 के अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। अतः उक्त मृतका का नाम वाद से दखारिज फरमाया जावे। प्रार्थनापत्र की प्रति प्रतिवादीगण को दिलवाई गई जिसपर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रा०पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वादीगण को दिलाई गई। तत्पश्चात प्रा०पत्र पर दिनांक 10.2.2021 को उभय पक्ष बहस सुनी गई।

अधि० प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं० 1/6 संजयादेवी विधवा मृतक नाथू नि० ग्राम हरदत्तपुरा, आमेर (जयपुर) की मृत्यु हो चुकी है तथा संजयादेवी के वारिसान प्रतिवादीगण रामलाल, घोगाराम, तेजाराम, मन्नीदेवी, सकमादेवी पूर्व से ही वाद में प्रतिवादीगण सं० 1/1 ता 1/5 के रूप में संयोजित है। उक्त मृतक के प्रतिवादीगण सं० 1/1 ता 1/5 के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नही है। अतः उक्त मृतका का नाम वाद से दखारिज किया जावे तथा उनके नाम के आगे लाल स्याही से मृतका बाबत अंकित किया जावे।

अधि० अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने जवाब प्रा०पत्र में अंकित

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादिया 1/6 स्वर्गवासिन
संजूदेवी पत्नी स्व. नाथू का दिनांक 4.5.2017 को, हो
चुका है जिनके उत्तराधिकारी जमाबन्दी पर प्रति.सं. 1/1 से 1/5
व प्रतिवादी सं. 2 के रूप में मौजूद है किन्तु फिर भी
प्रार्थीगण ने जानबूझकर प्रतिवादिया सं. 1/6 का नाम
जमाबन्दी से तर्क किये जाने एवं उसके विधिक उत्तराधिकारियों
को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने का आवेदन
जानकारी के बावजूद भी करीब मियाद बाहर 2 वर्ष
4 माह 13 दिवस पश्चात प्रस्तुत किया है जिसे
निरस्त किया जावे क्यों कि वादीगण को प्रतिवादियासं-1/6
के देहान्त की प्रारंभ से पूर्ण जानकारी रही है,
वादीगण एवं प्रतिवादीगण सजातीय हैं तथा एक ही ग्राम में
निवास करते हैं किन्तु फिर भी वादीगण ने विधि के
सुस्थापित सिद्धांतो की अवहेलना करते हुए जानबूझकर
न्यायपालिका एवं न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए
मियाद बाहर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें वादी ने
अबेटमेन्ट को सेट-असाइड करने हेतु कोई अनुतोष नही
चाहा है तथा ना ही उक्त आवेदन के साथ प्रा.पत्र
धारा 5 परिसीमन अधि. प्रस्तुत किया है। अत: वादीगण का
प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर होने की वजह से निरस्त कर
वाद वादीगण को अबैट घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादी
अधि. का यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण/वादीगण को
प्रतिवादी सं. 1/6 संजूदेवी के देहान्त की पूर्ण जानकारी
है, पूर्व में भी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 के देहान्त
होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों को उसके स्थान पर
प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिससे
स्पष्ट है कि वादीगण को उक्त कानूनी बारीकियों की भी
जानकारी है किसी भी पक्षकार के देहान्त हो जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

पश्चात् उसके विधिक उत्तराधिकारियों को अंदर मियाद 90 दिन में प्रतिस्थापित किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु फिर भी वादीगण ने जानबूझकर 8 वर्ष 4 माह 13 दिवस पश्चात् उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो कतई मियाद बाहर प्रस्तुत होने की वजह से निरस्त फरमाया जाकर वाद वादी अबैट घोषित फरमाया जावे। वादीगण ने पू.फ. जानकारी के उपरान्त भी जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें न तो आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु कोई युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण अंकित किये हैं और ना ही उपशमन को set-aside करने के लिए कोई याचना की है और ना ही अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधि. का प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है। अधि. प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र को लापरवाहीपूर्वक तथा नियम एवं विधि के आदेशात्मक प्रावधानों के विरुद्ध प्रस्तुत करना बताया है तथा संयु. आवेदन में ना तो वाद के स्वतः ही उपशमित हो जाने के बावजूद उसके उपशमन को निरस्त करने की कोई प्रार्थना नहीं की है और ऐसी अवस्था में न्यायप्रक्रिया के वैधानिक प्रावधानों के विपरीत लापरवाहीपूर्वक तरीके से प्रस्तुत किये गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता इसके संबंध में DNJ 2014(2) Pg.No 310, DNJ 2014(2)...467, DNJ 2014([illegible]) [illegible], DNJ 2015(1) ...105, RRT 2015(1)- [illegible], RRT 2016-17 पृष्ठ 319 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं।

हमने पक्षकारान तथा प्रा.पत्र का अवलोकन किया, बहस अभिभाषक सुनी तथा मनन किया। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व की गई बहस, जवाब प्रतिवादीगण व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात, यह न्यायालय-इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण ने प्रतिवादिया सं० 1/6 संतोषदेवी का दिनांक 4/5/2017 को देहान्त होने तथा प्रार्थनापत्र 2 वर्ष 4 माह 13 दिवस पश्चात प्रस्तुत करने की प्रतिवादीगण की आपत्ति का खंडन नहीं किया है किंतु फिर भी प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद के स्वतः उपशमित हो जाने के उपरान्त भी उपशमन को निरस्त करवाने की कोई प्रार्थना नहीं की, ना ही आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया और ना ही अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधि., Delay को Condone किये जाने हेतु पेश किया और ना ही प्रस्तुत आवेदन में delay को condone करने हेतु कोई अनुतोष चाहा है। जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावगुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने ना तो आवेदन में delay को condone करने हेतु कोई याचना की है ना ही अलग से कोई आवेदन प्रस्तुत किया और ना ही उपशमित हो चुके वाद के उपशमन को अपास्त करने हेतु O22-R-2 & R-9 [illegible] कोई आवेदन प्रस्तुत किया है और [illegible] पत्र में ही इस संबंध में कोई याचना की है। प्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

एक ही ग्राम में निवास करते हैं व सजातीय हैं। इसलिए वादीगण को प्रतिवादिया सं. 1/6 संतोषदेवी की मृत्यु की जानकारी ना हो, यह तथ्य तथा मानने योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र घोर लापरवाही तथा वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र बाबत नाम दर्ज दिनांक 18.9.2019 निरस्त करते हुए वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.2.2021 को मेरे द्वारा लिखा. जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी

न्याय अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या 885/2008/ दावा

वाद संख्या 885/2008 निर्णय दिनांक 25.02.2021

नान्छा पुत्र चूनाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 मांगीलाल पुत्र स्व0 नान्छा
1/2 कजोड़मल पुत्र स्व0 नान्छा
जगदीश पुत्र सुवालाल
समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम हरदतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

——वादीगण

बनाम

नाथू पुत्र चूनाराम (मृतक दौराने वाद)
1/1 रामलाल पुत्र स्व0 चूनाराम
1/2 छोगालाल पुत्र स्व0 चूनाराम
1/3 तेजाराम पुत्र स्व0 चूनाराम
समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम हरदतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
1/4 मन्नी देवी पुत्री मृतक नाथू पत्नी मंगलाराम निवासी ग्राम मोरीज तहसील चौमू जिला जयपुर
1/5 रुकमा देवी पुत्री मृतक नाथू पत्नी मोहनलाल निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमू जिला जयपुर
1/6 संज्या देवी विधवा मृतक नाथू
तेजाराम पुत्र नाथूलाल
राज0 सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन

निर्णय दिनांक 25.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर लापरवाही तथा वैधानिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ दिनांक 18.09.2019 निरस्त करते हुए वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 25.02.2021 को जारी किया।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.03.19 14:12:55 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	[illegible] [illegible] रूपये 4 रूपये	—

Scanned with CamScanner